कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 578 / FP/UK/Others/48097/2020 देहरादूनः दिनांकः 25 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद– देहरादून में जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड फॉरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए 'जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास' हेतु 0.8886 हे0 भूमि पर गैर वानिकी कार्यो हेतु पर्यटन विकास विभाग को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/Others/48097/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु पर्यटन विकास विभाग, देहरादून द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.8886 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत प्ररियोजना स्थल की विनोग वन्यजीव विहार से हवाई दूरी लगभग 1.04 किमी0 है एवं प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की संस्तुति प्रस्ताव में संलग्न की गयी है।

अतः उक्त प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

25/8/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/Others/48097/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की **मूल प्रति एवं पार्ट । से IV** तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
6. पर्यटन विकास विभाग, देहरादून।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद– देहरादून में जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड फॉरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए 'जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास' हेतु 0.8886 हे0 भूमि पर गैर वानिकी कार्यो हेतु पर्यटन विकास विभाग को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/Others/48097/2020)

जनपद–देहरादून में जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड फॉरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिए 'जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास हेतु 0.8886 हे0 भूमि पर गैर वानिकी कार्यो हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित है। उक्त प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–देहरादून / प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त प्रस्ताव पर गैर वानिकी कार्यों हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (डी0 जे0 के0 शर्मा) अ0प्र0व0सं0 एवं नो0 अधिकारी (एफ0सी0) उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : 25 / 08 / 2020
स्थान : देहरादून